न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय ,कोर्ट संख्या–02, महराजगंज।
उपस्थितः श्री अलख कुमार (उच्चतर न्यायिक सेवा)–UP3826
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1004/2026
UPMH010032282026

जितेन्द्र कुमार पुत्र फूलचन्द प्रसाद उम्र 30 वर्ष निवासी जंगलवडहरा, थाना पनियरा, जिला महराजगंज।

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य,

.....अभियोगी

अपराध संख्या–155/2026
धारा–2(b)(i)/3(1)उ0प्र0गिरोहबंद समाज
विरोधी क्रियाकलाप(नि0)अधि0
थाना–घुघली, जनपद–महराजगंज

अधिवक्ता अभियुक्त– श्री मैनुद्दीन अंसारी
अधिवक्ता राज्य–श्री सर्वेश्वर मणि त्रिपाठी
विशेष अभियोजन अधिकारी, गैंगेस्टर एक्ट।

निस्तारण जमानत प्रार्थनापत्र

23.07.2026

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्त जितेन्द्र कुमार पुत्र फूलचन्द प्रसाद की ओर से अपराध संख्या–155/2026 धारा–2(b)(i)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम थाना–घुघली जनपद–महराजगंज में प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थनापत्र के साथ फूलचन्द की ओर से इस आशय का शपथपत्र दाखिल किया गया है कि वह अभियुक्त का पिता और पैरवीकार मुकदमा है। अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, इसके अतिरिक्त कोई भी जमानत प्रार्थनापत्र न तो माननीय न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित है।

2. उपरोक्त जमानत प्रार्थनापत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता के तर्को को सुना एवं दस्तावेजों का सम्यक अवलोकन किया।

3. प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपने जमानत प्रार्थनापत्र में मुख्य रूप से जमानत का यह आधार लिया गया है कि "प्रार्थी बिल्कुल निर्दोष है कोई जुर्म नहीं किया है बल्कि फर्जी तरीके से मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त बनाया गया है। प्रार्थी न तो किसी गैंग का सदस्य है और न ही किसी गैंग से प्रार्थी का कोई वास्ता व सरोकार है। प्रार्थी सीधा सादा व शान्तिप्रिय व्यक्ति है प्रार्थी से जनता या समाज में किसी व्यक्ति को कोई भय नहीं है और न ही प्रार्थी का कोई आतंक है। प्रार्थी के विरुद्ध कोई भी आर्थिक, भौतिक, अथवा दुनियावी लाभ प्राप्त करने के सन्दर्भ में कोई साक्ष्य नहीं है

लिहाजा प्रार्थी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कोई धारा आकृष्ट नहीं होता है। गैंगचार्ट का अनुमोदन जिला धिकारी व पुलिस अधीक्षक के संयुक्त मीटिंग में नहीं की गयी है बल्कि उसे छपे प्रोफार्मा पर उक्त लोगों का हस्ताक्षर बार-बारी से करा लिया गया है। प्रार्थी को पुलिस द्वारा 3 अज्ञात मुकदमे मु०अ० सं० 179/26 धारा 303 (2), बी०एन०एस० थाना पनिथरा, मु०अ०सं० 90/26 धारा 303 (2) बी०एन०एस० थाना छत्नी, मु०अ० सं० 111/26 धारा 303 (2) बी०एन०एस० थाना ठिठौली के मामले में फर्जी तरीके से अभियुक्त बना दिया गया और प्रार्थी की गिरफ्तारी व बरामदगी दिनांक 10-6-26 को मु०अ० सं० 3/26 धारा / 317 (2), 317(4) बी०एन०एस० थाना सोनौली में दर्शाया गया था मु०अ० सं० 179/26 धारा 303 (2), 317 (2), 317 (4) बी०एन०एस० थाना पनिथरा व मु०अ० सं० 111/26 धारा 303 (2), 317 (2) 317(4) बी०एन०एस० थाना ठिठौली व मु०अ०सं० 053/26 धारा 317 (2) 317 (4) बी०एन०एस० में प्रार्थी की जमानत माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 2-7-26 को स्वीकार कर ली गयी तथा मु०अ० सं० 90/26 धारा 303 (2) 317(2), बी०एन०एस० थाना छत्नी में प्रार्थी की जमानत दिनांक – को अस्वीकृत कर ली गयी।। प्रार्थी ने कोई चोरी नहीं किया था बल्कि प्रार्थी 7 वर्षों से विदेश सउदी अरब मे था और 9-2-26 को विदेश से घर आया था तथा दिनांक 9-6-26 को नेपाल घूमने जा रहा था कि सोनौली वार्डर पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस वालो से कहा सुनी हो गयी जिसके कारण प्रार्थी को उक्त फर्जी मुकद्दमे मे संलिप्त कर दिया गया। प्रार्थी का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नही है। तथा प्रार्थी सुगामी जिले का रहने वाला है जिसके बाद जमानत भागने का कोई अन्देशा नही है। प्रार्थी का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष है कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में तो दाखिल है और न ही वहाँ से खारिज हुआ है। प्रार्थी मुकद्दमे के विवेचना व विचारण मे पूर्ण सहयोग करेगा तथा माननीय न्यायालय के आदेश निर्देश का अक्षरशः पालन करेगा। प्रार्थी माननीय न्यायालय के आदेशानुसार माकूल व विश्वसनीय जमानत देने को तैयार है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी को जमानत मुचलके पर रिहा करने की कृपा करें।"

4. वहीं दूसरी ओर अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए यह कथन किया गया है कि गैंग चार्ट में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध कुल 03 मुकदमें दर्शित किये गये है। इससे पता चलता है कि प्रार्थी/अभियुक्त अभ्यासित अपराधी है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

5. गैंगचार्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि गैंगचार्ट में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–90/2026 अन्तर्गत धारा–317(2),303(2) बी.एन.एस., थाना–घुघली, जनपद महराजगंज, मुकदमा अपराध संख्या–111/2026 अन्तर्गत धारा–303(2),317(2),317(4) बी.एन.एस., थाना–भिटौली, जनपद महराजगंज और मुकदमा अपराध संख्या–179/2026 अन्तर्गत धारा–303(2),317(2),317(4) बी.एन.एस., थाना–पनियरा, जनपद महराजगंज दर्शित किया गया है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया कि मु0 अ 0 सं0–90/2026 में अभियुक्त की जमानत दिनांक 23.06.2026 को न्यायालय सिविल जज (प्रवर खण्ड) त्वरित न्यायालय/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महराजगंज तथा मु0 अ 0 सं0–179/2026 में अभियुक्त की जमानत दिनांक 01.07.2026 को और मु0 अ 0 सं0–111/2026 में अभियुक्त की जमानत दिनांक 02.07.2026 को न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय ,कोर्ट संख्या–02, महराजगंज के द्वारा हो चुकी है। अभियोजन द्वारा गैंग चार्ट के अलावा एक अन्य आपराधिक इतिहास मुकदमा अपराध संख्या–53/2026, धारा–317(2),317(4) भारतीय न्याय संहिता, थाना सोनौली जिला महराजगंज प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अभियुक्त की जमानत दिनांक 01.07.2026 को इस न्यायालय के द्वारा हो चुकी है। अपने कथन के समर्थन में उक्त जमानत आदेशों की छायाप्रति एवं शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त गैंग का लीडर नहीं है। उपरोक्त तथ्यों का खण्डन अभियोजन के द्वारा नहीं किया गया है। गैंगचार्ट में वर्णित अपराधों के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध

अपराध संख्या–155/2026 अन्तर्गत धारा–2(b)(i)/3(1) उ०प्र० गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 पंजीकृत किया गया एवं गिरफ्तार किया गया। जहाँ तक प्रार्थी/अभियुक्त के आपराधिक इतिहास का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **पवन कुमार पाण्डेय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2007 (1) JIC 680 (LUCKNOW BENCH)** में यह स्पष्ट मत व्यक्त किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि प्रार्थी/अभियुक्त का आपराधिक इतिहास है। मामले के तमाम गवाह पुलिस के कर्मचारी व अधिकारी है। इस प्रकार यह कह पाना कि प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने पर गवाहों को डरायेगा व धमकायेगा, उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुण दोष पर बिना कोई अभिमत दिए आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का पर्याप्त आधार है। तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

6. आवेदक/अभियुक्त **जितेन्द्र कुमार** पुत्र फूलचन्द प्रसाद द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार किया जाता है–

(1) आवेदक/अभियुक्त द्वारा मु0–50,000/– (पचास हजार) रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं विधि व्यवस्था **Smt. Bachhi Devi Vs State of U.P. and Another (2025 SCC Online ALL 5286) व Pappu met @ Pappu Vs State of U.P. & Anr. Matters Under Article 227 No. 15205 of 2025 Judgment dated 11 December 2025** में प्रतिपादित सिद्धान्तों के दृष्टिगत समान धनराशि की एक प्रतिभू प्रस्तुत करने पर उसे रिहा किया जाये।
(ii) आवेदक/अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के पश्चात् मामले के साक्षियों को प्रभावित नही करेगा तथा साक्ष्यों को विरूपित करने का प्रयास नहीं करेगा।
(iii) आवेदक/अभियुक्त विचारण के स्तर पर कार्यवाही को विलम्बित नही करेगा।
(IV) आवेदक/अभियुक्त अपना तथा जमानतदारों का निवास स्थान बदलने पर इसकी सूचना न्यायालय को देगा।

7. कार्यालय लिपिक को आदेशित किया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति आवेदक/अभियुक्त को उपलब्ध कराये जाने हेतु जेल अधीक्षक, महराजगंज को जरिए ई–मेल या ई–प्रिजन पोर्टल के माध्यम से अविलम्ब प्रेषित करना सुनिश्चित करें ताकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **Policy Strategy for Grant of Bail, In Re Suo Moto Writ Petition (Crl.) No. 4 of 2021 decided on 31.01.2023 reported in (2024) 10 SCC 485** में पारित आदेश का अनुपाल सुनिश्चित हो सके।

दिनांकः23.07.2026

(अलख कुमार)
आई.डी. नम्बर–यू.पी.3826
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
त्वरित न्यायालय, कोर्ट संख्या–2,
महराजगंज।

Digitally signed by ALAKH KUMAR
Date: 2026.07.23 16:40:25 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court